

OFFICE OF THE REGISTRAR
RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL
SCIENCES, (RAJUVAS) BIKANER

No: F. 23 / RAJUVAS / (COMP. / PUR.)2021- 22/ 01-10

Dated: - 01.04. 2022

**M/s Salim Raju,
Bhutto ka Bass,
Bikaner.**

विषय :—मानव संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु कार्यादेश बाबत।

संदर्भ :— इस कार्यालय दर अनुमोदन पत्र सं. 1169—71 दिनांक 31.03.2022

महोदय,

इस विश्वविद्यालय एवं इससे सम्बद्ध इकाइयों हेतु विभिन्न श्रेणी के मानव संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु आपकी दरों को निम्नानुसार दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि हेतु अनुमोदित किया गया है :—

क्र.सं.	श्रेणी	श्रमिकों को प्रतिदिन देय राशि	सेवा प्रदाता को देय राशि (प्रति श्रमिक, प्रतिदिन)
1	2	3	4
(अ)	अकुशल श्रेणी	Rs. 300.00	Rs. 01
(ब)	अद्विकुशल श्रेणी	Rs. 330.00	Rs. 05
(स)	कुशल श्रेणी	Rs. 465.00	Rs. 01
(द)	उच्च कुशल श्रेणी	Rs. 600.00	Rs. 3.50

निविदा की शर्तें :—

1. दर अनुबंध 01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि के लिये मान्य होगा जिसे कार्य सन्तोषजनक की स्थिति में आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।
2. श्रमिकों को देय अनुमोदित दरों पर सेवा प्रदाता को EPF@13.61% एवं ESI@3.25% देय होगा।
3. सेवा प्रदाता सेवाओं को किसी अन्य को हस्तान्तरित या सबलेट नहीं कर सकेगा अन्यथा उसके अनुबंध को निरस्त कर कार्य संपादन प्रतिभूति जब्त कर ली जावेगी।
4. उपलब्ध करवाये गये कर्मकार के किसी गैर जिम्मेदाराना या गैर कानूनी कार्य (जैसे चोरी, अश्लीलता, नशा, जुआ आदि) में लिप्त पाये जाने पर उस कर्मकार की पूर्ण जिम्मेदारी तथा हुई क्षति की पूर्ति की जिम्मेवारी सेवा प्रदाता एजेन्सी की होगी। ऐसे कर्मकार के विरुद्ध की गयी किसी प्रकार की कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही पर देय क्षतिपूर्ति का भुगतान भी सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा ही देय होगा।
5. सेवा प्रदाता एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि कर्मकार हेतु उपलब्ध करवाये जा रहे व्यक्ति का चाल—चलन व चरित्र अच्छा हो।

6. सेवा प्रदाता द्वारा प्रत्येक आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे कर्मकार के बैंक खाते में जमा भुगतान, तथा EPF व ESI से संबंधित कर्मकार के खाते में जमा करवाये जाने के चालान की प्रति संबंधित प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी। बिल के साथ इन चालानों की प्रति प्राप्त होने पर ही बिल का भुगतान किया जाएगा।
7. निविदा के नियम व शर्त सं. 29 के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध करवाए गए कर्मकार को देय राशि यथा EPF एवं ESI & GST एवं अन्य कोई भी कर संबंधित कर्मकार के बैंक खाते में विश्वविद्यालय से भुगतान प्राप्त होने के 03 दिवस में जमा करवाना होगा।
8. सेवा प्रदाता को निम्नानुसार संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी को अपने बैंक का विवरण भी देना होगा :—
- 1 बैंक व शाखा का पूर्ण नाम व पता :—
 - 2 बैंक खाता संख्या :—
 - 3 बैंक का IFSC कोड नम्बर :—
 - 4 बैंक खाते का प्रकार (सेविंग / करंट) :—
9. कार्य हेतु अनुमोदित राशि का भुगतान सेवा प्रदाता को ही किया जावेगा। सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये कर्मकार इस कार्यालय से किसी भी प्रकार के भुगतान दावा मांगने के अधिकारी नहीं होंगे। इन्हें समर्त प्रकार के दावे या भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा ही देय होंगे। कार्यादेशों के अनुबंध की शर्तों को भंग करने या संविदा को संतोषजनक ढंग से पूरा न करने पर क्रेता अधिकारी द्वारा पूर्ण या अंशतः कार्य संपादन प्रतिभूति जब्त कर ली जावेगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
10. सेवाप्रदाता द्वारा प्रस्तावित कोई भी संशोधन या प्रस्ताव रखीकार्य नहीं होंगा। सेवाप्रदाता ई-निविदा की सभी शर्तों व नियमों की पालना के लिये बाध्य होंगे तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
11. सेवाप्रदाता को विभिन्न श्रेणी (Category) हेतु उनके सम्मुख योग्यताधारी मानव संसाधन ही उपलब्ध करवाने होंगे :—

S. No.	Nature of works	Category	Minimum Qualifications of the H.R. provided by the service provider	Approx Man power Needed
1	Professional services to be carried out in the field of computer science/information technology	Highly Skilled	M.Tech /ME/MCA/PGDCA/ equivalent post graduate qualification in the field of computer science/Information Technology.	95
2	Work to be carried out as of Civil or Electrical engineer (Preparation of estimates, supervision of work regarding Quantity & Quality and other work as assigned)	Highly Skilled	Degree in Engineering	08
3	Work to be carried out as of Junior Engineer (Preparation of estimates, supervision of work regarding Quantity & Quality and other work as assigned)	Highly Skilled	Diploma in Engineering having minimum 02 Year expirience	03
4	Work to be carried out as computer operator and ministerial work (Computer data /text, computer operator work related to various kinds of records and official matter, proficient with M.S.office	Skilled	10+2 with computer skill in Hindi/English/Both(RS-CIT/RS-CFA equivalent) Desirable: i. Computer skill in Hindi & English.	77

	operation on the computer. To carry out correspondence in Hindi and English. Handling of office equipment's and any other work as assigned)		ii. Knowledge of Stenography	
5	Work to be carried out as of technical assistant /Lab. Asstt. (Handling of Chemicals, Glassware, equipment's experimental/laboratory record, preparation of solutions/reagents, help in conduction of practical classes, assistance in project/laboratory work and any other work as assigned)	Skilled	Science Graduated	30
6	Work to be carried out as of livestock assistant (deforming, dusting/dipping, growth performance recording ,health measures including treatment and vaccination, collection of records on pregnancies, maintenance of all farm/filed records, recording of production data, collection of sample for analysis including semen collection and any other work as assigned)	Skilled	2 Year diploma in Animal Husbandry	40
7	Work to be carried out as of Vehicle Driver	Skilled	Having valid Driving License for the type of vehicle required to be driven	20
8	Work of Library Assistant	Skilled	1 10+2 with computer skill in Hindi/English/Both (RS- CIT/RS-CFA or equivalent) 2 Computer skill in Hindi & English. 3 Diploma In Library Science	02
9	Works to be carried out-operation of Air conditioner plant/chilling plant/Refrigeration plant/Dairy Plant.	Skilled	I.T.I. Diploma/experience of operation of Air Conditioner Plant/Chilling Plant/Refrigeration Plant/Dairy Plant/similar plant etc.	02
10	Work to be carried as plumber, electrician, Carpenter, fitter	Skilled	I.T.I. certificate holder as per norms fixed by the Govt.	21
11	Cook	Skilled	Expertise in cooking	4
12	Work to be carried out as animal farm worker, multi task workers	Semi Skilled	Sound Health with experience skill & required for the specific work	20
13	Animal handler, Milk Man etc.	Semi Skilled	Possessing art of milking Cows and Buffaloes.	37
14	Work to be carried out as animal farm worker, any other purpose workers including cleaing, sweeping and office Peon etc.	Un Skilled	Sound Health with good Physique	186
Total				545

12. विभिन्न कार्यों के प्रभारी द्वारा कार्यों की नियमित जांच की जावेगी तथा कार्यों के सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर बिलों में से देय राशि में युक्त कटौती की जाएगी। ठेके की शर्त/शर्तों के उल्लेख पर ठेके की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी तथा ठेका निरस्त कर दिया जावेगा। कमियों के एवज में की गई कटौती के संबंध में

माननीय कुलपति/कुलसचिव, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर का निर्णय अन्तिम होगा।

13. श्रम विभाग एवं लेबर एकट आदि के तहत सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मकारों से संबंधित समस्त कानूनी उत्तरदायित्व सेवाप्रदाता का होगा।
14. विश्वविद्यालय द्वारा कर्मकार को देय राशि/पी0एफ0/ई0एस0आई0/युप बीमा/GST अन्य करों तथा कर्मकार की आपूर्ति के लिये देय प्रीमियम का भुगतान सेवाप्रदाता को ही किया जावेगा। सेवाप्रदाता द्वारा कर्मकार को देय भुगतान में से पी0एफ0/ई.पी.एफ एवं ई0एस0आई0 के पेटे उसके अंशदान को कम करते हुए भुगतान कर्मकार के बैंक खाते में विश्वविद्यालय द्वारा पेमेन्ट जारी करने से अगले तीन दिवस में आवश्यक रूप से जमा करना होगा। इसी प्रकार कर्मकार के भुगतान में से काटे गये पी0एफ/ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 आदि के लिये दिये गये भुगतान को भी कर्मकार के संबंधित खाते में सात दिवस में जमा करवा कर जमा चालानों की प्रति संबंधित प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। सेवा प्रदाता के अगले माह का भुगतान पूर्व माह हेतु कर्मकारों के पी0एफ/ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 आदि के जमा करवाने के चालान की प्रति प्राप्त होने के पश्चात ही किया जावेगा। विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए GST को राजकोष में जमा करवाकर चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। उक्त के संबंध में होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व सेवाप्रदाता का होगा। सेवा प्रदाता को प्रथम बिल EPF & ESI इत्यादि की राशि शामिल करते हुए भुगतान किया जावेगा, तत्पश्चात् मासिक रूप से विगत माह का EPF & ESI इत्यादि का चालान प्रस्तुत करने पर पुनर्भरण किया जावेगा।
15. कर्मकारों का ई.पी.एफ की कटौती करवानी आवश्यक होगी।
16. वर्तमान में ई0पी0एफ0 कटौती में कर्मकार का हिस्सा 12 प्रतिशत (मजदूरी का) एवं सेवाप्रदाता का 13.61 प्रतिशत (मजदूरी का) अर्थात् कुल 25.61 प्रतिशत कर्मकार के ई0पी0एफ0 खाते में प्रतिमाह जमा करवाना अनिवार्य है। इसी भाँति कर्मकार का हिस्सा ई0एस0आई0 में 0.75 प्रतिशत एवं 3.25 प्रतिशत नियोक्ता का हिस्सा कुल 4 प्रतिशत (अंशदान)(मजदूरी का) संबंधित कर्मकार के खाते में जमा करवाना अनिवार्य होगा। यदि इस प्रावधान में संबंधित अधिनियम द्वारा कोई संशोधन किया जाता है, तो सेवाप्रदाता उसकी पालना हेतु बाध्य होगा।
17. महिला कर्मकारों से संबंधित सभी कानूनों की पालना सेवाप्रदाता द्वारा की जानी है। साथ ही महिला कर्मकारों से संबंधित विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की पालना एवं निर्देशों की पूर्ति/पालना भी कड़ाई से करनी होगी।
18. सेवाप्रदाता को सभी कानूनों के प्रावधानों, जो समय—समय पर लागू हों, की पालना करना अनिवार्य है।
19. आवश्यक होने पर, पर विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण कार्यों के लिये साप्ताहिक अवकाश एवं अन्य अवकाशों के दिन तथा कार्यालय समय से पूर्व /पश्चात भी कर्मकारों को बुलाया जा सकेगा। इसके लिये विश्वविद्यालय द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। इसके लिए कर्मकारों को क्षतिपूर्ति अवकाश अन्य कार्य दिवस को दे दिया जावेगा।
20. सेवाप्रदाता द्वारा प्रस्तुत बिलों में टी.डी.एस. की कटौती नियमानुसार की जावेगी।
21. विश्वविद्यालय एवं अधीनस्थ इकाइयों में सेवाप्रदाता के मार्फत रखे जाने वाले कर्मकार रिक्त पदों के अनुसार रखने से पूर्व कुल सचिव राज्यवास से अनुमति लेनी आवश्यक है। सेवाप्रदाता

के मार्फत रखे जाने वाले कर्मकार की सेवाएँ विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त ही ली जा सकेगी। यदि कुलसचिव की पूर्व अनुमति के बिना कोई कर्मकार लगाया जाता है तो उसके भुगतान के लिये विश्वविद्यालय जिम्मेवार नहीं होगा।

22. कर्मकारों के विलम्ब से आने और निर्धारित समय पर काम नहीं करने या सन्तोषजनक नहीं होने पर सेवाप्रदाता को सूचित किया जावेगा कि उसके स्थान पर अन्य कर्मकार उपलब्ध कराना होगा अन्यथा सेवाप्रदाता को देय राशि में से आनुपातिक रूप से कटौती की जायेगी। इसके साथ ही यदि कोई कर्मकार किसी भी प्रकार से अपना उत्तरदायित्व सन्तोष जनक रूप से नहीं निभाता है जिसके कारण विश्वविद्यालय को आर्थिक नुकसान होता हो या किसी भी चल या अचल सम्पत्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति सेवाप्रदाता के मासिक बिल से की जायेगी। ऐसा न होने पर सेवाप्रदाता की जमा कार्य संपादन प्रतिभूति राशि में से हानि के अनुपात में राशि की कटौती की जाएगी। हानि की लागत का आंकलन विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जाएगा जो कि सेवाप्रदाता को मान्य होगा।
23. सेवाप्रदाता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, क्षतिपूर्ति अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों व उनके अन्तर्गत प्रवृत्त नियमों व निर्देशों आदि की पालना करने के लिये बाध्य होगा। इन प्रावधानों के अन्तर्गत सेवाप्रदाता के किसी दायित्व का भुगतान यदि विभाग/विश्वविद्यालय को किन्हीं परिस्थितियों में वहन करना पड़ जावे तो उसकी समस्त वसूली सेवाप्रदाता से की जायेगी। कर्मकारों को भुगतान संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए सेवाप्रदाता स्वयं ही उत्तरदायी होगा। इस बारे में विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा।
24. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित राशि के अनुसार ही कर्मकारों को भुगतान करने का दायित्व सेवा प्रदाता का होगा। प्रत्येक प्रकार के कार्यों की दरों के अनुमोदन आदेशों से सेवाप्रदाता को अवगत करवाया जाता रहेगा।
25. कार्य में शिथिलता/अनियमितता की शिकायत प्रमाणित होने पर कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी तथा ठेके को निरस्त किया जा सकेगा।
26. सेवाप्रदाता की अनुमोदित दरें राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय व विश्वविद्यालय के अधीनस्थ राजस्थान की सभी इकाइयों में लागू होंगी। इकाइयों व इनमें अनुमानित मानव श्रम आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। स्वीकृत दरें विश्वविद्यालय एवं इसके अधीनस्थ वर्णित समस्त इकाइयों हेतु मान्य होगी।
27. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सेवाप्रदाता का होगा।
28. ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम से अधिक के लिए ली जायेंगी, उन्हें उनकी सेवाओं के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना विश्वविद्यालय द्वारा समय – समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।
29. सेवाप्रदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सेवाप्रदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संरक्षा को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संरक्षा की संतुष्टि होने पर ही सेवाप्रदाता को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
30. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अधिकारी के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय – समय पर वृद्धि होने पर

उपापन संख्या द्वारा सेवाप्रदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

31. सेवा प्रदाता को अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। सेवाप्रदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा। सेवाप्रदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति संबंधित प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने पर ही सेवाप्रदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
32. सेवाप्रदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर सेवाप्रदाता का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं सेवाप्रदाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
33. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व सेवाप्रदाता का होगा।
34. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय— समय पर जारी किये गये दिशा— निर्देशों की पालना करने का दायित्व सेवाप्रदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा— निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/ दायित्वों के लिये सेवाप्रदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
35. यदि सेवाप्रदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी सेवाप्रदाता की होगी। इसके लिये उपापन संख्या का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
36. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व सेवाप्रदाता का होगा।
37. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/ सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का मुआवजा देने/ ई.एस.आई. करवाने/ सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदार एवं दायित्व सेवाप्रदाता का होगा, इसके लिये उपापन संख्या की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
38. यदि सेवाप्रदाता द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संख्या को प्राप्त होती है, तो उपापन संख्या इस सम्बन्ध में श्रम विभाग को सूचित कर सकेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में सेवाप्रदाता का ठेका निरस्त करते हुए Debar करने की कार्यवाही करेगी।
39. राज्य सरकार की नीति में परिवर्तन की दशा में अनुबंध कभी भी तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जा सकता है।
40. समस्त कानूनी कार्यवाही, चाहे किसी भी पक्ष द्वारा की गयी हों, बीकानेर स्थित न्यायालय में ही प्रारम्भ करनी होगी, अन्य न्यायालय में नहीं।
41. सेवा अनुबंध अवधि में उपलब्ध कराये गये कर्मकारों के किसी प्रकार के विधि बाद की समस्त जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।

42. इस कार्यालय द्वारा जारी खुली ई – निविदा सं. 02/2021 – 22 के सेवा प्रदाता के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्य के निष्पादन हेतु नियम व शर्तें, राज्य सरकार के वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र सं. F.2 (1) वित्त/एस.पी.एफ.सी./2017 दिनांक 30.04.2018 तथा RTPP Rule – 2013 एवं RTPP Act – 2012 में उल्लेखित सभी शर्तें, नियम प्रावधान एवं धाराएँ भी लागू रहेंगी, जिनकी पालना सेवाप्रदाता द्वारा आवश्यक रूप से की जाएगी।
43. बोली निविदा की समस्त शर्तें की पालना करनी होगी।
44. सेवाप्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध कराये जाने वाले मानव संसाधन की आयु किसी भी स्थिति में 18 से कम तथा 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।



कुलसचिव

No: F.23 / RAJUVAS / (COMP. / PUR.)2021 - 22/ 02-10

Dated: - 01.04.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. निजि सचिव, माननीय कुलपति, राजूवास, बीकानेर।
3. वित्तनियंत्रक, राजूवास, बीकानेर।
4. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/प्रमुख अन्वेषक/आहरण वितरण अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, राजूवास, बीकानेर को भेज कर लेख है कि उक्त पत्र में वर्णित शर्तों की पूर्णतया पालना होने के पश्चात ही विलों को प्रमाणित कर भुगतान पारित करने हेतु कोषाधिकारी, राजूवास बीकानेर को भिजवावें।
5. जिला श्रम अधिकारी, बीकानेर।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी (UAO), राजूवास, बीकानेर।
7. कोषाधिकारी, राजूवास, बीकानेर को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र में वर्णित शर्तों की पूर्णतया पालना होने के पश्चात ही विलों का भुगतान पारित करने की कार्यवाही करें।
8. ई.एस.आई कार्यालय, बीकानेर।
9. ई.पी.एफ कार्यालय, बीकानेर।



कुलसचिव